रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 198
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935 [N.C.T.D. No. 198

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

सं. फा. 17(202)/इंजीनियरिंग/दि.वि.वि.आ./2012-13/4192.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 (एतद्पश्चात् मूल विनियमों के रूप में उल्लिखित), में संशोधित करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षक एंव प्रारंभन:

1.1 ये विनियमन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 कहे जाएंगे ।

1.2 ये विनियमन सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. मूल विनियमों के विनियमन क7 में संशोधन:

मूल विनियमन के ऊर्जा प्रभार विनियमन क7 की धारा 7.18 (ख) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक जोड़े गए हैं :

परन्तु यह कि उत्पादन कम्पनी उत्पादन केन्द्र के लाभार्थियों को इन विनियमों के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क प्रारूपों के प्रपत्र सं. एफ 27 (ऊर्जा प्रभार के लिए ईंधन के संबंध में जानकारी) के अनुसार सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) के मापदण्ड और ईंधन यानी घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, प्राकृतिक गैस, आर.एल.जी.एन. तरल ईंधन आदि की कीमत का विवरण प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले के सम्मिश्रण के पर्याप्त अनुपात, ई-नीलामी कोयले का अनुपात और ईंधन की प्राप्त भारित औसत सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) का अलग से विवरण सबंधित माह के बिल के साथ उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि बिल की प्रतियां और औसत सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) के मापदंड और ईंधन के मूल्य का ब्यौरा जैसे घरेलू कोयला आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, प्राकृतिक गैस आर.एल.जी. एन., तरल ईंधन आदि घरेलू कोयला के साथ आयातित कोयले के सम्मिश्रण का अनुपात का ब्यौरा, ई-नीलामी के समानुपात का विवरण उत्पादन कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मासिक आधार पर विवरण अपनी वेबसाइट पर तीन माह की अवधि के लिए उपलब्ध होना चाहिए ।

जयश्री रघुरमन, सचिव